राज्यादेश सं० 20793 दि० 18.10.78 का प्रतिस्थानी आदेश

उद्योग विभाग

13/हस्तकरघा§प्रतिवे§-1-01/78

पत्रांक- 20793 दिनांक 18.10.78/17.11.78

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पो०-हिन्नू, रांची

×अनौपचारिक रूपसे परामर्शित

वित्तकोमान भवन, पटना ।
× §द्वारा- वित्त विभाग§

विषय:- उद्योग विभाग में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का सृजन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति के आलोक में अधिकाधिक नियोजन के अवसर प्रदान करने, गरीबी दूर करने तथा आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के आय में वृद्धि करने की दृष्टि से हस्तकरघा एवं रेशम उद्योग के सर्वांगीन विकास हेतु राज्य सरकार ने उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय से स्वतंत्र एक अलग हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय की स्थापना 24,17,000/-§चौबीस लाख सत्रह हजार§ रूपये के वार्षिक अनुमानित व्यय पर करने की स्वीकृति प्रदान की है इसके अनुसार हस्तकरघा एवं रेशम से संबंधित सभी विद्यमान योजनाओं का विलयन नव सृजित हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय में हो जायगा और हस्तकरघा उद्योगों से संबंधित विपणन संस्था§बिहार स्टेट हैण्डलूम कोर्प० को-अपरेटिव यूनियन§ की सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण से हटाकर उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन कर दिया जायगा ।

तत्काल नव सृजित हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के मुख्यालय की स्थापना पर व्यय हेतु 1,10,000/-§एक लाख दस हजार§ रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है जैसा कि संलग्न परिशिष्ट-I में उल्लिखित है । इस निदेशालय हेतु एक स्वतंत्र निदेशक का पद भा०प्र०से० के वरीय वेतनमान§1200-2000+ 250 विशेष वेतन में§ §2§ संयुक्त निदेशक§विपणन§ का एक पद वेतनमान 1340-1870 में §3§ उप निदेशक§रेशम§ का एक पद 1060-1580 में तथा §4§ निदेशक के सचिव का एक पद वेतनमान 455-840 में सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई है । इसके अलावे छः अराजपत्रित पदों की भी स्वीकृति दी है जैसा कि परिशिष्ट-I में वर्णित है । हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय उद्योग विभाग के अधीन एक, स्वतंत्र निदेशालय के रूप में कार्य करेगा ।

3. नव सृजित हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय में उद्योग निदेशालय के नियंत्रणाधीन चल रही हस्तकरघा एवं रेशम उद्योग संबंधी सभी योजनाओं के साथ साथ सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन चल रही हस्तकरघा योजनाओं के विलयन करने का भी निर्णय लिया गया है । इस संबंध में विलयन होने वाली योजनाओं एवं पदों से संबंधित राज्यादेश शीघ्र ही अलग से निर्गत किया जायगा ।

4. इस निदेशालय का व्यय बजट शीर्ष-"321-ग्राम और लघु उद्योग-निदेशन और प्रशासन-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना-हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय" से विकलित होगा । चूँकि चालू वित्तीय वर्ष में इस मद के लिए कोई उपबंध नहीं है, अतः तत्काल व्यय का वह बिहार आकस्मिकता निधि से 5.00 लाख रूपया§पाँच लाख§ अग्रिम लेकर किया जायगा जिसकी प्रतिपूर्ति 1978-79 के प्रथम अनुपूरक आगणन में अनुसूची द्वारा की जायगी ।

.....2

5. उक्त निदेशालय के नियंत्रण एवं निकासी तथा व्ययन पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम रहेंगे । इसके लिए बिहार कोषागार संहिता खंड-2 के अन्तर्गत अपेन्डिक्स 8(बी) की सूची संलग्न है ।

विश्वास भाजन,
ह0/- अस्पष्ट
सं0 सचिव ।

ज्ञापांक- 20793 / दिनांक 18.10.78/17.11.78

प्रतिलिपि- वित्त विभाग(प0 2 एवं 7)/योजना विभाग, बिहार/सहकारिता विभाग, बिहार/आय व्ययक पदा0, उद्योग विभाग/योजना शाखा उद्योग विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उद्योग विभाग (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारियों एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सभी प्रधान सचिव/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- अस्पष्ट
स0 सचिव ।